

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईवतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 248/2014

दपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मनीराम पुत्र श्री महीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एम.जे.डी. तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. सुखाराम पुत्र श्री कालूराम जाति नायक निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़
2. राजसिंह पुत्र राजसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़
3. बिल्लूसिंह पुत्र राजसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़
4. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र राजसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़
5. सुखदेवकौर पत्नी श्री दर्शनसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़
6. गुरदेवकौर पत्नी श्री बिल्लूसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़
7. मनजीतकौर पत्नी श्री सुखमहेन्द्रसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. शेरसिंह पुत्र श्री सुलतानराम जाति कुम्हार निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़
9. हरमन्द्रसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति कुम्हारसिख निवासी अमरपुराजालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़
10. कलावती देवी पत्नी श्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया
11. चन्द्रपाल पुत्र श्री शिदकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया
12. कमलादेवी पत्नी श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया
13. बलवन्तसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया
14. हरवरणसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डसिखान तहसील संगरिया
15. रविन्द्रकुमार पुत्र श्री सहदेव जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया
16. शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री सहदेव जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया
17. तहसीलदार, राजस्व, संगरिया

- प्रतिवादीगण

दिनांक :- 3.6.2014

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल
रुबरू हमारे वहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नक्षत्र सिंह
वकील प्रतिवादी सं. 12,13,14 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव
तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती

1 एमजेडी के खाता सं. 45/32 में कुल रकवा 3.864 है. में मौके पर कब्जा काश्त की भूमि--

1. मनीराम पुत्र महीराम जाति बिश्नोई सा. संगरिया प.नं. 181/177 मु.नं. 16 किला नं.

6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पु.नं. 182/176 पु.नं. 5 किला नं. 22/0.253 23/1/0.215 है 23/2/0.038 है मै.मु. सरका 24/1/0.076 है 24/2/0.038 है मै.मु. सरका पु.नं. 182/177 पु.नं. 17 किला नं. 1/5/0.030 है 1/6/0.005 है मै.मु. सरका 10/3/0.030 है कुल रकवा 1.190 है नदरी मय मै.मु. शेष खाता बदरसूर जमावदी

हक 1 एगजेन्सी के खाता से 5/4 में कुल रकवा 2.190 है, मै.मीके पर कब्जा काशत की गीमे

1 मनीराम पुत्र मधोराम जाति बिश्नोई सा. संगरिया पु.नं. 181/176 पु.नं. 6 किला नं. 16/1/0.228 है 16/2/0.025 है, मै.मु. खाता पु.नं. 182/176 पु.नं. 5 किला नं. 18.19/0.253 है. प्र कुल रकवा 0.759 है, नदरी मय मै.मु.



अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है वा तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गूअरसंगरिया के पत्र क्रमांक प्राडिक्री/यू.अ. /024/1983 दिनांक 24.05.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना कदन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिरसा प्रमाणित नहीं हो तो ऋषि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दसामद कर दिया जावे।

निज.....X.....मुक्लिक.....X.....बाबत.....X001.....रकवा मुकदमे के मय शुद वा 6 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक.....X.....को अदा करे।

बसवा मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3. 6 2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपसचिव अधिकाारी
संगरिया